

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

(छ,ग, शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)

कोनी - बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ,ग.) 495009 दूरभाष क्रमांक : (07752) 240715

www.pssou.ac.in E-mail-registrar@pssou.ac.in

Number of Teachers in position 2017-18

S.No.	Name of Teachers	Department	Post
01	Dr. Gauri Sharma	Education	Asst. Prof.
02	Dr. Shushama Solanki	Zoology	Mansevi Sahayak Pradhyapak
03	Ms. Neha Anchal	Physics	Mansevi Sahayak Pradhyapak
04	Dr. Anupma Kumari	Journalism	Mansevi Sahayak Pradhyapak
05	Mr. Phuleshwar Verma	Chemistry	Mansevi Sahayak Pradhyapak
06	Dr. Radheshyam Patel	History	Mansevi Sahayak Pradhyapak
07	Dr. Balakram Choukase	Sanskrit	Mansevi Sahayak Pradhyapak
08	Dr. Anupa Thomas	English	Mansevi Sahayak Pradhyapak
09	Dr. B.L. Goyal	Commerce	Regional Director
10	Dr. O.P. Birthare	Education	Co-ordinator
11	Dr. Mordhwaj Tripathi	Commerce	Co-ordinator
12	Dr. Nilima Tiwari	Botany	Co-ordinator
13	Dr. Tanuja Birthare	Law	Co-ordinator
14	Dr. Deepak Pandey	Psychology	Co-ordinator
15	Dr. H.N. Dubey	Chemistry	Regional Co-Ordinator
16	Dr. Shalini Shukla	Library Science	Programme Co-ordinator
17	Mr. P. Panduranga	Sociology	Programme Co-ordinator
18	Mr. Pravin Sharma	Education	Programme Co-ordinator
19	Mr. Abhinandan Karmakar	Education	Programme Co-ordinator
20	Dr. Anita Pandey	Sociology	Programme Co-ordinator
21	Mr. Ganesh Gadheval	Sociology	Co-ordinator Assistant
22	Ms. Shweta Kurre	Yoga	Yog Anudeshak
23	Mr. Aashish Dhar Diwan	Yoga	Yog Anudeshak
24	Ms. Sharda Patel	Yoga	Yog Anudeshak

VERIFIED



REGISTRAR

Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)



Dr. Beena Singh
Incharge NAAC Criteria-II
PSSOU, CG Bilaspur

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)

दूरभाष : (07752) 643644 फ़ैक्स 424329, 213073

Web site : www.pssou.ac.in, E-mail – registrar@pssou.ac.in

क्र. 2328 / प्रशा. / स्था. / 16,

बिलासपुर, दिनांक 11/02/2016

// आदेश //

पं सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के परिनियम क्रमांक 09 की कंडिका 2 के प्रावधानों के तहत बनाई गई चयन समिति द्वारा प्रस्तुत मेरिट लिस्ट एवम् विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की 48 वीं बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 06 में लिये गये निर्णय के अनुसार शिक्षा विषय में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित सहायक प्राध्यापक पद के विरुद्ध प्रतीक्षा सूची के प्रथम उम्मीदवार डॉ. गौरी शर्मा पति श्री राजीव शर्मा को विषय शिक्षा, सहायक प्राध्यापक पद पर वेतनमान रु. 15,600-39,100+6,000 ग्रेड पे में पदभार ग्रहण की तिथि से तब तक के लिए नियुक्त किया जाता है जब तक कि इस आरक्षित वर्ग में नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती है।

2/ यह नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी --

- (1) कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के साथ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिलासपुर (छ.ग.) का चिकित्सा प्रमाण-पत्र करना जमा करना आवश्यक होगा।
- (2) कार्यभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी रु. 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर यह शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि नियुक्ति के दौरान उसके द्वारा प्रस्तुत समस्त शैक्षणिक अंकसूची एवं प्रमाण-पत्र सहित उपलब्ध कराई गई जानकारी सही है। यदि कोई भी अभिलेख असत्य पाया गया तो नियुक्ति रद्द की जा जायेगी।
- (3) यह नियुक्ति किसी भी पक्ष से एक माह का नोटिस अथवा एवज में एक माह का वेतन दिया जाकर समाप्त किया जा सकेगा।
- (4) नियुक्त कर्मचारी के द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन भत्ता का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर शर्त क्रं. 03 के अंतर्गत देय रकम उस कर्मचारी से वसूली योग्य होगी।

क्रमशः - 02

// 02 //

- (5) सेवारत कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा जारी "कार्यमुक्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा।
- (6) नियुक्ति आदेश प्रसारण की तिथि से 15 दिनों के अंदर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है।
- (7) शैक्षणिक कर्मचारियों की सेवाएं विश्वविद्यालय परिनियम क्रमांक 13 एवं परिनियम क्रमांक 09 में निर्धारित शर्तों के अनुसार नियंत्रित होगी।
- (8) यह नियुक्ति स्थानान्तरणीय है, अर्थात् प्रशासनिक कारणों/आवश्यकता को देखते हुये कर्मचारी का स्थानान्तरण विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्रों में भी किया जा सकता है।
- (9) यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है तथा विषय शिक्षा में अनु.जनजाति वर्ग के लिये आरक्षित पद में नियुक्ति के साथ ही स्वमेव समाप्त हो जायेगी।

कार्यपरिषद् के आदेशानुसार



(डॉ. राजकुमार सचदेव)

कुलसचिव

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय

छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक // /02/2016

पृ.क्रं. 2329 / प्रशा. / स्था. / 16,
प्रतिलिपि -

1. निज सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी, पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. डॉ. गौरी शर्मा पति श्री राजीव शर्मा, सीनियर एच.आई.जी. 40, सेक्टर 1, दीनदयाल नगर, रिंग रोड 1, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. व्यक्तिगत नस्ती हेतु।



कुलसचिव



प्रति,

कुलसचिव,
पं. सुंदरलाल शर्मा (मुक्त) वि.वि.
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

विषय:- सहायक प्राध्यापक शिक्षा के पद पर पदभार ग्रहण करने विषयक।
संदर्भ:- वि.वि. का पत्र क्रमांक 2329/प्रशा./स्था./16 बिलासपुर, दिनांक 11/02/2016

उपरोक्त पत्र के संदर्भ में मैं डॉ गौरी शर्मा आज दिनांक 12/02/2016 के अपरान्ह में सहायक प्राध्यापक (शिक्षा) के पद पर कार्यभार ग्रहण कर रही हूँ।

RMS
12/02/2016 A.N.

भवदीय
h.y.mall
12.02.16
डॉ. गौरी शर्मा
सीनियर एच.आई.जी. 40,
सेक्टर- 01, दीनदयाल नगर,
रिंग रोड-1, रायपुर (छ.ग)

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240752, 240712 website- pssou.ac.in

क्र 646 /स्था./2018

बिलासपुर दिनांक: 23/01/2018

// आदेश //

विश्वविद्यालय विज्ञापन क्र. 574 के तारतम्य में विश्वविद्यालय के परिनियम 2 की कंडिका 9 के ii,iii,iv के तहत माननीय कुलपति को प्राप्त अधिकार के अंतर्गत अधोलिखित अभ्यर्थियों को निश्चित मानदेय रु. 21000.00 (इक्कीस हजार) प्रति माह पर नितांत अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण तिथि से अगस्त 2018 तक मानसेवी सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र.	विषय	दिनांक	अभ्यर्थी का नाम
1.	वनस्पति विज्ञान	15.01.2018	डॉ (श्रीमती) नीलिमा तिवारी
2.	भौतिकी विज्ञान	15.01.2018	कु. नेहा अंचल
3.	रसायन शास्त्र	15.01.2018	फूलेश्वर वर्मा
4.	इतिहास	16.01.2018	डॉ. राधेश्याम पटेल
5.	प्राणी विज्ञान	18.01.2018	डॉ. सुषमा सोलंकी
6.	विधि	18.01.2018	डॉ. (श्रीमती) तनुजा विरथरे
7.	अर्थशास्त्र	19.01.2018	श्रीमती अनुराग दूबे
8.	पत्रकारिता	19.01.2018	कु. अनुपमा कुमारी
9.	योग विज्ञान	20.01.2018	कु. शारदा पटेल
10.	संस्कृत	20.01.2018	डॉ. महेन्द्र कुमार नागपुरे


इनसे ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता और लगनपूर्वक सेवा की अपेक्षा करते हुये इनके कार्य करने की अनुमति दी जा रही है जो पूर्णतः अस्थाई है। यह आदेश कार्यभार ग्रहण तिथि से प्रभावशील होगा। टीप - डॉ. (श्रीमती) नीलिमा तिवारी को उनके वर्तमान मानदेय रु. 26,884.00 के संरक्षण का लाभ दिया जायेगा।


कुलसचिव

पृ.क्रमांक 647 /स्था./2018
प्रतिलिपि -

बिलासपुर, दिनांक: 23/01/2018

1. निज सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय निदेशक को सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
4. संबंधित डॉ./श्री कु. नेहा अंचल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. कार्यालय प्रति।

प्राप्त किया



कुलसचिव

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240711, 240712 website- pssou.ac.in


क्र. 1121/स्था/2018

बिलासपुर दिनांक 25/08/2018

//आदेश//

विश्वविद्यालय के परिनियम 2 की कडिका 9(iv) के तहत प्रदत्त अधिकार से माननीय कुलपति जी द्वारा डॉ. अनुपा थॉमस पति श्री शाजी थॉमस को दिनांक 29.08.2018 से 31.10.2018 तक के लिए मानसेवी आधार पर निश्चित मानदेय रु. 10430/- एवं प्रोत्साहन राशि 12536/- प्रतिमाह पर विश्वविद्यालय में कार्यक्रम समन्वयक (अंग्रेजी) का कार्य करने की अनुमति प्रदान किया गया है। विश्वविद्यालय इनकी सेवाएँ विभिन्न कार्यों हेतु विश्वविद्यालय मुख्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार ले सकेगा। यह अनुमति पूर्णतः अस्थायी है तथा विश्वविद्यालय में कार्य न होने या इनके द्वारा कार्य करने से मना करने पर या अनुशासनहीनता की दशा में बिना पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताये कार्य करने की अनुमति 31.10.2018 के पूर्व कभी भी निरस्त की जा सकेगी।

आदेशानुसार


कुलसचिव

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752
www.pssou.ac.in, E-mail - registrar@pssou.ac.in

क्रं. 977 / प्रशा. / 18,

बिलासपुर, दिनांक 26 / 06 / 2018


// आदेश //

इस विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 646 / स्था. / 2018 दिनांक 23 / 01 / 2018 एवम् 749 / स्था. / 2018 दिनांक 09 / 03 / 2018 के द्वारा निम्न विभिन्न विषयों में मानसेवी सहायक प्राध्यापकों को कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है।

आदेशानुसार, उक्त आदेश में उल्लेखित "मानसेवी" शब्द के स्थान पर "संविदा" प्रतिस्थापित किया जाता है।

क्रं.	नाम	विषय
1	डॉ. नीलिमा तिवारी	वनस्पति विज्ञान
2	कु. नेहा अंचल	भौतिकी विज्ञान
3	श्री फूलेश्वर वर्मा	रसायन शास्त्र
4	डॉ. राधेश्याम पटेल	इतिहास
5	डॉ. सुषमा सोलंकी	प्राणी विज्ञान
6	डॉ. तनुजा बिरथरे	विधि
7	डॉ. अनुपमा कुमारी	पत्रकारिता
8	कु. शारदा पटेल	योग विज्ञान
9	डॉ. बालक राम चौकसे	संस्कृत


आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी।


कुलसचिव

पृ. क्रं. / स्था. / 18,
प्रतिलिपि -

बिलासपुर, दिनांक / / 2018

1. निज सचिव, कुलपति/निज सहायक, कुलसचिव को माननीय कुलपति/कुलसचिव के सूचनार्थ।
2. वित्त अधिकारी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. क्षेत्रीय निदेशक (क्षेत्रीय सेवा प्रभाग) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. संबंधित डॉ. _____ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
5. नस्ती हेतु।


कुलसचिव

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-210312, 213073 (फैक्स) website- pssou.ac.in


क्र. 564 /स्था./2017

बिलासपुर दिनांक: 19/12/2017

// आदेश //

विश्वविद्यालय कार्य परिषद् की 67 वीं बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 4 में लिए गये निर्णय अनुसार डॉ. बी.एल.गोयल, सेवा निवृत्त, प्राचार्य, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय बिलासपुर को विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय निदेशक के पद पर मानसेवी रूप में निश्चित मानदेय रु. 60,000.00 (साठ हजार मात्र) प्रतिमाह पर अस्थायी रूप से कार्यभार ग्रहण तिथि से छे माह के लिए कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है। यह अनुमति पूर्णतः अस्थायी है तथा विश्वविद्यालय में कार्य न होने या इनके द्वारा कार्य करने से मना करने पर या अनुशासनहीनता की दशा में बिना पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताये कार्य करने की अनुमति निरस्त की जा सकती है।

आदेशानुसार



कुलसचिव

पृ.क्रमांक 565 /स्था./2017

बिलासपुर, दिनांक: 19/12/2017

प्रतिलिपि -

1. निज सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
3. परीक्षा नियंत्रक को सूचनार्थ।
4. डॉ. बी.एल.गोयल. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय सेवा प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. विभाग प्रमुख को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. क्षेत्रीय समन्वयक, क्षेत्रीय केन्द्र को सूचनार्थ।
8. कार्यालय प्रति।


कुलसचिव

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-210312, 213073 (फैक्स) website- pssou.ac.in

क्र.690/स्था./2017


बिलासपुर दिनांक: 20/06/2017

// आदेश //

श्री/श्रीमती/कु. श्री. डी. पी. दिशद्वे पिता/पति श्री श्री. डी. दिशद्वे को दिनांक 20.06.2017 से आगामी 178 दिवस के लिए मानसेवी आधार पर निश्चित मानदेय रु. 25840.00 एवं प्रोत्साहन राशि रु. ... प्रतिमाह पर विश्वविद्यालय में ... का कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय इनकी सेवाएँ विभिन्न कार्यों हेतु विश्वविद्यालय मुख्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार ले सकेगा। यह अनुमति पूर्णतः अस्थायी है तथा विश्वविद्यालय में कार्य न होने या इनके द्वारा कार्य करने से मना करने पर या अनुशासनहीनता की दशा में बिना पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताये कार्य करने की अनुमति निरस्त की जा सकती है।

(माननीय कुलपति जी द्वारा अनुमोदित)

आदेशानुसार


कुलसचिव

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240711, 240712 website- pssou.ac.in

क्र. 965 / स्था. / 2018

बिलासपुर दिनांक 18/06/2018

// आदेश //

श्री/श्रीमती/कु. डॉ. मोरेश्वर त्रिपाठी पिता/पति श्री डॉ. आर. एन. एच. त्रि
को दिनांक 18.06.2018 से 07.12.2018 तक के लिए मानसेवी आधार पर निश्चित मानदेय रु.
... 10440200 ... एवं प्रोत्साहन राशि 1650000 ... प्रतिमाह पर विश्वविद्यालय में
सहत्वयक (व्यक्तिगत) ... का कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय
इनकी सेवाएँ विभिन्न कार्यों हेतु विश्वविद्यालय मुख्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार
ले सकेगा। यह अनुमति पूर्णतः अस्थायी है तथा विश्वविद्यालय में कार्य न होने या इनके द्वारा कार्य
करने से मना करने पर या अनुशासनहीनता की दशा में बिना पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताये कार्य
करने की अनुमति 07.12.2018 के पूर्व कभी भी निरस्त की जा सकेगी।

(कार्यपरिषद् के आदेशानुसार)

आदेशानुसार

R. W. S.
कुलसचिव

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240752, 240712 website- pssou.ac.in

क्र.646/स्था./2018

बिलासपुर दिनांक: 23/01/2018

// आदेश //

विश्वविद्यालय विज्ञापन क्र. 574 के तारतम्य में विश्वविद्यालय के परिनियम 2 की कंडिका 9 के ii,iii,iv के तहत माननीय कुलपति को प्राप्त अधिकार के अंतर्गत अधोलिखित अभ्यर्थियों को निश्चित मानदेय रु. 21000.00 (इक्कीस हजार) प्रति माह पर नितांत अस्थाई रूप से कार्यभार ग्रहण तिथि से अगस्त 2018 तक मानसेवी सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

क्र.	विषय	दिनांक	अभ्यर्थी का नाम
1.	वनस्पति विज्ञान	15.01.2018	डॉ. (श्रीमती) नीलिमा तिवारी ✓
2.	भौतिकी विज्ञान	15.01.2018	कु. नेहा अंचल ✓
3.	रसायन शास्त्र	15.01.2018	फूलेश्वर वर्मा ✓
4.	इतिहास	16.01.2018	डॉ. राधेश्याम पटेल ✓
5.	प्राणी विज्ञान	18.01.2018	डॉ. सुषमा सोलंकी ✓
6.	विधि	18.01.2018	डॉ. (श्रीमती) तनुजा विरथरे ✓
7.	अर्थशास्त्र	19.01.2018	श्रीमती अनुराग दूबे
8.	पत्रकारिता	19.01.2018	कु. अनुपमा कुमारी ✓
9.	योग विज्ञान	20.01.2018	कु. शारदा पटेल
10.	संस्कृत	20.01.2018	डॉ. महेन्द्र कुमार नागपुरे

इनसे ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता और लगनपूर्वक सेवा की अपेक्षा करते हुये इनके कार्य करने की अनुमति दी जा रही है जो पूर्णतः अस्थाई है। यह आदेश कार्यभार ग्रहण तिथि से प्रभावशील होगा।
टीप - डॉ. (श्रीमती) नीलिमा तिवारी को उनके वर्तमान मानदेय रु. 26,884.00 के संरक्षण का लाभ दिया जायेगा।

पृ.क्रमांक 647/स्था./2018
प्रतिलिपि -

R. W. Babbar
कुलसचिव
बिलासपुर, दिनांक: 23/01/2018

1. निज सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय निदेशक को सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
4. संबंधित डॉ./श्री को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. कार्यालय प्रति।

R. W. Babbar
कुलसचिव

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-210312, 213073 (फैक्स) website- pssou.ac.in

क्र. 690 /स्था./2017

बिलासपुर दिनांक: 20/06/2017

// आदेश //

श्री/श्रीमती/कु. डॉ. नीलिमा तिवारी पिता/पति श्री. पुत्रेन्द्र तिवारी

को दिनांक 20.06.2017 से आगामी 178 दिवस के लिए मानसेवी आधार पर निश्चित मानदेय रु. 10,440.00 एवं प्रोत्साहन राशि रु. 15,400.00 प्रतिमाह पर विश्वविद्यालय में स्नातक का कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय इनकी सेवाएँ विभिन्न कार्यों हेतु विश्वविद्यालय मुख्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार ले सकेगा। यह अनुमति पूर्णतः अस्थायी है तथा विश्वविद्यालय में कार्य न होने या इनके द्वारा कार्य करने से मना करने पर या अनुशासनहीनता की दशा में बिना पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताये कार्य करने की अनुमति निरस्त की जा सकती है।

(माननीय कुलपति जी द्वारा अनुमोदित)

आदेशानुसार

R. S. S. S.

कुलसचिव

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240711, 240712 website- pssou.ac.in



क्र. 1122/स्था./2018

बिलासपुर दिनांक 29/08/2018

// आदेश //

विश्वविद्यालय के परिनियम 2 की कंडिका 9(iv) के तहत प्रदत्त अधिकार से माननीय कुलपति जी द्वारा डॉ. दीपक पाण्डेय पिता श्री शिव कुमार पाण्डेय को दिनांक 29.08.2018 से 31.10.2018 तक के लिए कार्यक्रम समन्वयक (मनोविज्ञान) का कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय इनकी सेवाएँ विभिन्न कार्यों हेतु विश्वविद्यालय मुख्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार ले सकेगा। यह अनुमति पूर्णतः अस्थाई है तथा विश्वविद्यालय में कार्य न होने या इनके द्वारा कार्य करने से मना करने पर या अनुशासनहीनता की दशा में बिना पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताये कार्य करने की अनुमति 31.10.2018 के पूर्व कभी भी निरस्त की जा सकेगी।

आदेशानुसार


कुलसचिव


पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-240752, 240712 website- pssou.ac.in

704 /स्था./2018

बिलासपुर दिनांक: 12/02/2018

//आदेश//

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 68वीं बैठक दिनांक 23.01.018 के प्रस्ताव क्रमांक 02 में लिए गये निर्णय के परिपालन में डॉ. हरि नारायण दुबे, क्षेत्रीय समन्वयक, क्षेत्रीय केन्द्र दुर्ग के कार्य गुणवत्ता, अनुभव एवम् कार्यभार को देखते हुए उनके मासिक मानदेय को 30,000.00 (तीस हजार) प्रति माह किया जाता है। यह मानदेय 1 फरवरी 2018 (भुगतान माह मार्च 2018) से प्रभावशील होगा।

(मा. कार्यपरिषद द्वारा अनुमोदित)

R. Wadhwa
कुलसचिव

क्रमांक 705 /स्था./2018

बिलासपुर, दिनांक: 12/02/2018

प्रतिलिपि -

1. निज सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय निदेशक को सूचनार्थ।
3. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. संबंधित डॉ. हरि नारायण दुबे, क्षेत्रीय समन्वयक, क्षेत्रीय केन्द्र दुर्ग को सूचनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

R. Wadhwa
कुलसचिव

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-210312, 213073 (फैक्स) website- pssou.ac.in

क्र. 563 /स्था./2017

बिलासपुर दिनांक 19/12/2017

// आदेश //

श्री/श्रीमती/कु.डॉ. शालिनी शुक्ला पिता/पति श्री विवेक शुक्ला
को दिनांक 19.12.2017 या कार्य पर उपस्थित होने की तिथि से 13 जून 2018 तक के लिए मानसेवी
आधार पर विश्वविद्यालय में कार्यरत शमन्वमकु का कार्य करने की अनुमति
प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय इनकी सेवाएँ विभिन्न कार्यों हेतु विश्वविद्यालय मुख्यालय, क्षेत्रीय
केन्द्र, अध्ययन केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार ले सकेगा। यह अनुमति पूर्णतः अस्थायी है तथा विश्वविद्यालय
में कार्य न होने या इनके द्वारा कार्य करने से मना करने पर या अनुशासनहीनता की दशा में बिना पूर्व
सूचना के एवं बिना कारण बताये कार्य करने की अनुमति निरस्त की जा सकती है।

(माननीय कुलपति जी द्वारा अनुमोदित)

आदेशानुसार

Risady
कुलसचिव



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-210312, 213073 (फैक्स) website- pssou.ac.in

क्र. 687/स्था./2017

बिलासपुर दिनांक: 16/06/2017

// आदेश //

श्री/श्रीमती/कु. श्री. पद्मेश्वरी देवी पिता/प्रति श्री. श्री. वी. शिववतु को अस्थाई रूप से निश्चित मानदेय पर 177 दिवस के लिए एम.एस. एम.एस. का कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई थी जो आज दिनांक 16.06.2017 को पूर्ण हो रहा है। अतः इन्हे अस्थाई रूप से कार्य करने की जो अनुमति प्रदान की गई थी उसे आज दिनांक 16.06.2017 को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

(माननीय कुलपति जी द्वारा अनुमोदित)

Received
P. Pansurapur
20/06/17 16/06/17

आदेशानुसार

R. S. S. S.
कुलसचिव

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

कोपी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (उ.ग.) फोन 07752-210312, 213073 (फैक्स) website- pssou.ac.in

क्र. 687/स्था./2017

बिलासपुर दिनांक: 16/06/2017

// आदेश //

श्री/श्रीमती/कु. प्रवीण शर्मा पिता/पति श्री रव. मणिकु. शर्मा को अस्थाई रूप से निश्चित मानदेय पर 177 दिवस के लिए कार्य प्रभु समूह का कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई थी जो आज दिनांक 16.06.2017 को पूर्ण हो रहा है। अतः इन्हे अस्थाई रूप से कार्य करने की जो अनुमति प्रदान की गई थी उसे आज दिनांक 16.06.2017 को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

(माननीय कुलपति जी द्वारा अनुमोदित)

Handwritten signature

आदेशानुसार

Handwritten signature
कुलसचिव

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-210312, 213073 (फैक्स) website- pssou.ac.in

क्र. 687 /स्था./2017

बिलासपुर दिनांक: 16/06/2017

// आदेश //

श्री/श्रीमती/कु. अभिनाथ कर्माकर पिता/पति श्री गुहेदेव कर्माकर को अस्थाई रूप से निश्चित मानदेय पर 177 दिवस के लिए कार्यक्रम समाप्त का कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई थी जो आज दिनांक 16.06.2017 को पूर्ण हो रहा है। अतः इन्हे अस्थाई रूप से कार्य करने की जो अनुमति प्रदान की गई थी उसे आज दिनांक 16.06.2017 को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

(माननीय कुलपति जी द्वारा अनुमोदित)

Atanu K.

आदेशानुसार

Riyaj
कुलसचिव

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-210315, 213073 (फैक्स) website- pssou.ac.in

क्र. 556/A/स्था./2017

बिलासपुर दिनांक: 14/12/2017

// आदेश //

श्री/श्रीमती/कु. डॉ. अनिता पाण्डेय पिता/पति श्री अनिल कुमार पाण्डेय को अस्थाई रूप से निश्चित मानदेय पर 177 दिवस के लिए कार्यक्रम प्रभार का कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई थी जो आज दिनांक 14.12.2017 को पूर्ण हो रहा है। अतः इन्हे अस्थाई रूप से कार्य करने की जो अनुमति प्रदान दी गई थी उसे आज दिनांक 14.12.2017 को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

(माननीय कुलपति जी द्वारा अनुमोदित)

आदेशानुसार

R. Wagon
कुलसचिव

Anita
14/12/2017

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-210312, 213073 (फैक्स) website- pssou.ac.in

क्र. 687/स्था./2017


बिलासपुर दिनांक: 16/06/2017

// आदेश //

श्री/श्रीमती/कु. श्री/श्रीमती/कु. श्रीमती गीतिका पिता/पति श्री के.ए.श. चक्र को अस्थाई रूप से निश्चित मानदेय पर 177 दिवस के लिए २४१५९ ५५५५५५ का कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई थी जो आज दिनांक 16.06.2017 को पूर्ण हो रहा है। अतः इन्हे अस्थाई रूप से कार्य करने की जो अनुमति प्रदान दी गई थी उसे आज दिनांक 16.06.2017 को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

(माननीय कुलपति जी द्वारा अनुमोदित)

आदेशानुसार


कुलसचिव

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छ.ग. शासन के अधिनियम क्र. 26/2004 द्वारा स्थापित)

कोनी बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.) फोन 07752-210312, 213073 (फैक्स) website- pssou.ac.in

क्र. S05 /स्था./2017

बिलासपुर दिनांक: 24/11/2017

// आदेश //

विश्वविद्यालय में संचालित पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम योग विज्ञान की संपर्क कक्षा, प्रायोगिक परीक्षा विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों में संपन्न कराने एवं अन्य कार्य के लिए योग अनुदेशक हेतु दिनांक 22.11.2017 को संपन्न लिखित परीक्षा पश्चात साक्षात्कार में सफल उम्मीदवारों को योग अनुदेशक का कार्य करने हेतु नितांत अस्थाई रूप से विश्वविद्यालय के परिनियम 2 की कंडिका 9 के ii,iii,iv के तहत माननीय कुलपति को प्राप्त अधिकार के अतर्गत निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थियों को 31 मार्च 2018 तक निश्चित मानदेय रु. 15000.00 (पंद्रह हजार) प्रति माह पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है। कार्य निष्पादन एवं विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुसार कार्य अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति	वर्ग
1.	श्वेता कुर्रे	श्री राधेश्याम कुर्रे	महिला
2.	शारदा पटेल	श्री रघुबर प्रसाद पटेल	महिला
3.	सुरभी कोठारी	श्री प्रफुल्ल कोठारी	महिला
4.	आशीष धर दीवान	श्री एम.डी. दीवान	पुरुष
5.	राघव वर्मा	श्री गालव प्रसाद	पुरुष

इनसे ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता और लगनपूर्वक सेवा की अपेक्षा करते हुये इन्हे कार्य करने की अनुमति दी जा रही है जो पूर्णतः अस्थाई है, तथा कभी भी बगैर सूचना या कारण बताये निरस्त की जा सकेगी। यह आदेश कार्यभार ग्रहण तिथि से प्रभावशील होगा।

आदेशानुसार

R. W. S. Ch.
कुलसचिव

क्रमांक S05 /स्था./2017

बिलासपुर, दिनांक: 24/11/2017

प्रतिलिपि -

1. निज सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. वित्ताधिकारी को सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय निदेशक, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. संबंधित श्री/श्रीमती/ को आदेश के पालनार्थ।
5. कार्यालय प्रति।

R. W. S. Ch.
कुलसचिव